NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 82/NCRES/20 Date : 8.5.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– प्रयागराज मंडल में चिकित्सा विभाग के नर्सिंग संवर्ग को 3rd MACP के GP-6600 का लाभ न दिया जाना।

संदर्भ :– (i) RBE No. 87/2018 व NCRPS No. 5437/2019 दिनांक 6.3.2019
(ii) 25/26 फरवरी 2020 के NCRES के PNM मीटिंग के प्रारम्भिक भाषण का मद।
(iii) कार्मिक विभाग प्रयागराज मंडल का पत्र संख्या 752 ई/ई.ओ./मेडि./एम.ए.सी.पी/एस.एन दिनांक 21.5.2019 एवं 27.12.2019
(iv) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रधान कार्यालय के कार्मिक विभाग का पत्र संख्या 797–ई/स्था./पी/एम.ए.सी.पी./मेड दिनांक 2.9.2019 एवं दिनांक 1.5.2020

महोदय,

सर्वप्रथम अवगत कराना है कि आगरा एवं झांसी मण्डल में दिनांक 31.8.2008 तक 6500–10500 का वेतन मान प्राप्त कर चुके नर्स/नर्सिंग सिस्टर/मैट्रन को RBE 87/2018 दिनांक 14.6.2018 के अनुसार GP- 6600 का लाभ दिया जा चुका है लेकिन नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के सबसे बड़े प्रयागराज मण्डल में उन नर्सिंग सिस्टर/मैट्रन/चीफ मैट्रन को GP-6600 का लाभ नही दिया गया जिन्होने 31.8.2008 तक 6500–10500 का वेतनमान प्राप्त कर लिया था।

NCRES का अनुरोध है कि निम्न बिन्दुओ पर विचार किया जाय।

(1) RBE No. 87/2018 के पैरा (a) के अनुसार नर्सिंग कैडर में जिस भी नर्स/नर्सिंग सिस्टर/मैट्रन/चीफ मैट्रन ने 6th CPC लागू होने के पूर्व अर्थात 31.8.2008 तक 6500–10500 का वेतनमान प्राप्त कर लिया था, उन्हें 3rd MACP के GP-6600 का लाभ दिया जाना था।

(2) प्रयागराज मंडल में मैट्रन सुनीता इक्का के सर्विस रिकार्ड के अनुसार उनकी नियुक्ति दिनांक 28.8.1991 को स्टाफ नर्स के पद पर वेतन मान 1400–2600 में हुई थी एवं प्रथम प्रमोशन नर्सिंग सिस्टर के पद पर वेतनमान 1640–2900 में दिनांक 29.12.1996 को हुआ था और द्वितीय प्रमोशन मैट्रन के पद वेतनमान 6500–10500 में दिनांक 21.7.1999 को हुआ था। इस प्रकार RBE No. 87/2018 दिनांक 14.6.2018 के अनुसार श्रीमती सुनीता इक्का को 3rd MACP का GP- 6600 दिनांक 27.7.2009 से देय है।

(3) चीफ मैट्रन सुनीता इक्का को नवम्बर 2019 में सेवानिवृत होना था इसलिये RBE No. 87/2018 और NCRPS No. 5437/2019 जारी होने के बाद चीफ मैट्रन श्रीमती सुनीता इक्का GP- 6600 प्राप्त करने के लिये लगातार प्रयास करती रही लेकिन Nov. 2019 में सेवानिवृति होने तक और उसके बाद अभी तक उन्हें GP- 6600 का लाभ नही मिला।

(4) **आप कृपया याद करे** कि NCRES ने Sep. 2019 में आपसे अनुरोध किया था कि प्रयागराज की चीफ मैट्रन सुनीता इक्का को Nov. 2019 में सेवानिवृत्ति होने के पहले 3rd MACP के GP- 6600 का लाभ दिया जाय। आपने भी प्रयास किया लेकिन मैट्रन इक्का को GP- 6600 का लाभ आज तक नही मिला।

(5) रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE No. 87/2018 दिनांक 14.6.2018 पूर्णतया स्पष्ट है लेकिन किन्ही कारणो से प्रयागराज मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 21.5.2019 द्वारा प्रधान कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा जिसपर प्रधान कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 2.9.2019 द्वारा RBE 87/2018 को पालन करने का निर्देश दिया।

(6) खेद के साथ अवगत कराना है कि प्रधान कार्यालय के स्पष्टीकरण के बावजूद प्रयागराज मण्डल ने नर्सिंग कैडर में कार्यरत उन नर्सिंग सिस्टर/मैट्रन/चीफ मैट्रन को 3rd MACP के GP- 6600 का लाभ नही दिया गया जिन्होने 31.8.2008 तक 6500–10500 का वेतनमान प्राप्त कर लिया था।

(7) यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रधान कार्यालय के स्पष्टीकारण दिनांक 2.9.2019 से संतुष्ट न होने पर पुनः प्रयागराज मण्डल ने साढ़े तीन माह बाद अपने पत्र दिनांक 27.12.2019 द्वारा प्रधान कार्यालय से RBE 87/2018 का स्पष्टीकरण मांगा, जिसपर प्रधान कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 1.5.2020 द्वारा पुनः प्रयागराज मण्डल को निर्देश दिया कि RBE 87/2018 के निर्देशो का पालन करे।

(8) NCRES ने दिनांक 25/26 फरवरी के PNM बैठक में महाप्रबंधक महोदय के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया कि चीफ मैट्रन श्रीमती सुनीता इक्का एवं अन्य जिन्होने 31.8.2008 तक 6500–10500 का वेतन मान प्राप्त कर लिया था उन्हें RBE No. 87/2018 के अनुसार 3rd MACP के GP- 6600 का लाभ नही दिया जा रहा है और स्टाफ रिटायर होता जा रहा है।

(9) NCRES को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधान कार्यालय के कार्मिक विभाग द्वारा भेजे गये दिनांक 2.9.2019 के स्पष्टीकरण/दिशा–निर्देश का पालन प्रयागराज मण्डल नही करना चाहता, इसलिये जरूरी है कि यह मामला महाप्रबंधक महोदय के सज्ञान में लाया जाय ताकि 31.8.2008 तक 6500–10500 का वेतनमान प्राप्त कर चुके नर्सिंग कैडर के नर्स/नर्सिंग सिस्टर/मैट्रन/चीफ मैट्रन को जल्द से जल्द GP- 6600 का लाभ मिल सके।

अन्त में NCRES का अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे ताकि RBE 87/2018 के अनुसार 31.8.2008 तक 6500–10500 का वेतनमान प्राप्त कर चुकी पूर्व चीफ मैट्रन श्रीमती सुनीता इक्का एवं अन्य को जल्द से जल्द 3rd MACP के GP- 6600 का लाभ एरियर सहित मिल सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री